प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022

प्र0इ0रि0 सं. ......352/2022...... दिनांक......8/9/2022......

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7,7ए

(II) * अधिनियम ....भारतीय दण्ड संहिता धारायें ....120 बी.............

(III) * अधिनियम .... धारायें ....

(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....144........................समय . 7:15 P.m.

(ब) अपराध घटने का दिन मंलगवार दिनांक 06.09.2022 , समय 4:35 पी.एम.

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 04.07.2022 समय 01:00 पी.एम

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :– जगदम्बा रेस्टोरेन्ट एण्ड होटल, थानागाजी जिला अलवर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– उत्तर पूर्व दिशा, लगभग 100 किमी.

(ब) जगदम्बा रेस्टोरेन्ट एण्ड होटल, थानागाजी जिला अलवर

....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम श्री डालचन्द सैनी

(ब) पिता/पति का नाम श्री बुद्धालाल सैनी

(स) जन्म तिथी/वर्ष करीब ....37 साल..

(द) राष्ट्रीयता भारतीय..

(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .

जारी होने की जगह ....

(र) व्यवसाय – ठेकेदार

(ल) पता – निवासी– वार्ड नं 23, थानागाजी जिला अलवर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –

1. श्री अरूण कुमार शर्मा पुत्र स्वं. श्री भगवती सहाय शर्मा, जाति ब्रहम्ण, उम्र 37 साल, निवासी--मकान नम्बर 10, श्याम विहार विस्तार--द्वितीय, सीआईएसएफ के सामने आमेर, जयपुर हाल अधिशाषी अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका थानागाजी, अलवर।
2. श्री रमेश चन्द सैनी पुत्र श्री रेवड राम सैनी, उम्र 46 साल, जाति सैनी, मकान नम्बर 77, आमाली वार्ड नं 13, तहसील विराटनगर, जयपुर। (प्राईवेट व्यक्ति)
3. श्री भोलूराम सैनी पुत्र श्री बुद्धाराम सैनी कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका थानागाजी अलवर

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–....कोई नहीं.

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).......

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ...... 2 लाख रूपये ....

11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

दिनांक 04.07.2022 को परिवादी श्री डालचन्द सैनी पुत्र श्री बुद्धालाल सैनी वार्ड नं 23 नगर पालिका थानागाजी अलवर ने एक प्रार्थना पत्र ब्यूरो में उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया कि –" सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिकक्षक, SU 11 ACB Jaipur विषय :–रिश्वत खोरो को रंगे हाथों पकडवाने बाबत महोदयः मै AA क्लास का ठेकेदार हूँ तथा मेने नगर पालिका थानागाजी, अलवर में 1. माता माई से दोलडा तक शेष नाले का कार्य एवं रैम्प बनाने का कार्य 2. अलवर मेन रोड से सुदामा वशिष्ठ के घर तक CC रोड व नाली निर्माण कार्य, 3. ग्यारसी लाल के मकान से सरकारी स्कूल तक बिहारीसर में C.C रोड व नाली निर्माण कार्य अप्रेल 2022 में पूरे किये थे जिनका कुल करीब 2900000 रूपये मुझे मई –2022 में मेरे खाते में ट्रैजरी द्वारा नगर पालिका थानागाजी से प्राप्त हुये। इसके अलावा मेरी फर्म मै. सपना कस्ट्रक्शन के नाम आठ टेण्डर लगभग 20000000/रूपये की राशि के कार्यादेश फरवरी– मार्च 2022 में हुए। मेरे द्वारा पूर्व में किये गये 2900000/– के कार्य का अधिषाशी अधिकारी नगर पालिका थानागाजी अरूण शर्मा एवं जेईन भोलाराम सैनी 31 प्रतिशत लगभग 900000/–रू रिश्वत के मांग रहे है। तथा 20000000/–रूपये के कार्यादेश के 15 प्रतिशत के हिसाब से रिशवत B.S.R रैटो में टैण्डर देने के एवज में मांग रहे है। मै इनको रिश्वत नही देना चाहाता हुँ मेरे इनसे ना तो कोई आपसी रजिस है एवं ना ही कोई लेनदेन बकाया है। कानूनी कार्यवाही करे 4/7/22 एसडी डालचन्द डालचन्द सैनी पुत्र श्री बुद्धालाल सैनी वार्ड नं 23 नगर पालिका थानागाजी अलवर 9414641131"। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित एवं प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य सही होना बताये। मजीद दरियाफ्त पर परिवादी श्री डालचन्द सैनी ने बताया कि ...... उसके द्वारा नगर पालिका थानागाजी, अलवर में अप्रेल 2022 में पूर्ण किये गये करीब 29 लाख रूपये के निमार्ण कार्य जिनका भुगतान मुझे मई 2022 में प्राप्त हो गया था। इसके अलावा फरवरी–मार्च 2022 में नगर पालिका थानागाजी से लगभग 2 करोड रूपये की राशि के 8 टेण्डरो के कार्यादेश मुझे बी.एस.आर. रेटो पर आवंटित हुये। अधिशाषी अधिकारी श्री अरूण शर्मा एवं कनिष्ठ अभियंता श्री भोलाराम सैनी नगर पालिका थानागाजी, अलवर द्वारा मुझे पूर्व में भुगतान किये गये 29 लाख रूपये की राशि का 31 प्रतिशत एवं लगभग 2 करोड रूपये की राशि के बी.एस.आर रेटो में जारी किये गये कार्यादेश का 15 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। मेरे द्वारा रिश्वत राशि नहीं देने पर अधिशाषी अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका थानागाजी, अलवर द्वारा वर्तमान में जारी लगभग 2 करोड रूपये के आठ टेण्डरो के कार्यो में अडचन पैदा की जा रही है एवं इन कार्यो के रनिंग बिलों का भुगतान नही किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। श्री रूपकिशोर कानि. 74 को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री डालचन्द सैनी एवं श्री रूपकिशोर कानि. 74 का आपस में परिचय करवाया गया। कार्यालय की आलमारी से सोनी कम्पनी का विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकालकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के सभी फॉल्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को रिकॉर्डर को चालू एवं बंद करने की प्रकिया समझाई गई। परिवादी श्री डालचन्द सैनी ने बताया कि मै परसो दिनांक 06.07.2022 को कार्यालय नगर पालिका थानागाजी में जाकर अधिशाषी अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियंता से मेरे कार्यो एवं रनिंग बिलो के भुगतान के सम्बंध में बातचीत करूंगा। जिस पर कानि श्री रूपकिशोर 74 को हिदायत दी गई कि परसो दिनांक 06.07.2022 को मन पुलिस निरीक्षक से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर, थानागाजी, अलवर पहुंचकर परिवादी श्री डालचन्द सैनी से सम्पर्क करे एवं परिवादी जब संदिग्धो के पास अपने काम के सम्बंध में बातचीत करने जाये उससे पूर्व रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को सुपुर्द करे एवं आस–पास ही मौजूद रहकर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी एवं संदिग्धो के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने एवं उनको देखने का प्रयास करे। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। परिवादी श्री डालचन्द सैनी को हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया। दिनांक 06.07.2022 को श्री

Cont/ 2

रूपकिशोर कानि 74 को मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर थानागाजी भेजकर रिश्वत मांग सत्यापन सम्बंधि अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 06.07.2022 को कानि. श्री रूपकिशोर 74 ने अपने मोबाईल नम्बर 6375494341 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9571744744 पर कॉल करके बताया कि मै आपके निर्देशानुसार ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर कस्बा थानागाजी, अलवर पहुंचा। जहां जरिये मोबाईल परिवादी श्री डालचन्द सैनी से सम्पर्क कर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करके सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु रवाना कार्यालय नगर पालिका थानागाजी किया गया। मै अपनी उपस्थिति छुपाते हुये कार्यालय नगर पालिका थानागाजी के पास ही मौजूद रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री डालचन्द सैनी ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर आकर मुझे रिकॉर्डर सुपुर्द किया। रिकॉर्डर को मैने बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा। इसके बाद कानि. रूपकिशोर 74 ने अपने मोबाईल से परिवादी श्री डालचन्द सैनी से मन पुलिस निरीक्षक की बातचीत करवाई। परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मै श्री रूपकिशोर जी से चालू हालात में रिकॉर्डर प्राप्त कर कार्यालय नगर पालिका थानागाजी के अन्दर गया। जहां जेईएन श्री भोलाराम सैनी मौजूद मिला। जेईएन ने मुझे पूर्व में भुगतान किये गये 29 लाख रूपये का 6 प्रतिशत स्वयं के लिये, 6 प्रतिशत ईओ साहब के लिये तथा 1 प्रतिशत केशियर के लिये रिश्वत की मांग की। इसके बाद जेईएन ने मुझे कहा कि राउण्ड फिगर में 1 लाख 80 हजार रूपये मेरे एवं 1 लाख 80 हजार रूपये ई ओ साहब के हो गये तथा अन्त में मुझे कहा कि 6 प्रतिशत मेरे, 6 प्रतिशत ईओ साहब के तथा 2 प्रतिशत कैशियर के कुल 14 प्रतिशत के हिसाब से 4 लाख 20 हजार रूपये आप को देने है। इसके अलावा मुझे यह भी कहा कि वर्तमान में आपके जो कार्य चल रहे है उनका हिसाब ज्यो-ज्यो काम आगे बढता जायेगा, वैसे-वैसे करते रहेगे। इसके बाद मै ईओ साहब के कक्ष में गया तो ईओ साहब मौजूद नही मिले। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह जब भी अपने काम के सम्बंध में बातचीत करने हेतु ईओ के पास जावे या ईओ द्वारा उसे इस सम्बंध में बातचीत हेतु बुलाया जावे तो मन पुलिस निरीक्षक को सूचित करे।

दिनांक 07.07.2022 को कानि. श्री रूपकिशोर 74 ने ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होकर मन पुलिस निरीक्षक को रिकॉर्डर सुपुर्द किया। रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को लैपटोप की सहायता से चलाकर सूना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये कथनो की ताईद हुई। रिकॉर्डर को बंद करके कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। परिवादी को भुगतान किये गये 29 लाख रूपये की ऐवज में जेईएन श्री भोलाराम सैनी द्वारा स्वयं के लिये 6 प्रतिशत, ईओ के लिये 6 प्रतिशत एवं कैशियर के लिये 2 प्रतिशत कुल 4 लाख 20 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की गई। जेईएन श्री भोलाराम सैनी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगने की पुष्टि हो चुकी है तथा परिवादी द्वारा मन पुलिस निरीक्षक को आईन्दा सूचित करने पर ईओ श्री अरूण शर्मा का रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जावेगा।

दिनांक 01.09.2022 को परिवादी श्री डालचन्द सैनी ने मोबाईल नम्बर 8209623004 से मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9571744744 पर कॉल करके बताया कि ईओ साहब ने अपने मोबाईल नम्बर से मुझे वाट्सअप कॉल करके मुझे मेरे बिलो के सम्बंध में बातचीत करने के लिये अपने कार्यालय बुलाया है तथा ईओ ने मुझे यह भी कहा कि आज जेईएन को भी सामने बुलाकर पुरी बात बता देगे। परिवादी को हिदायत की गई कि ब्यूरो कार्यालय से कानि. श्री रूपकिशोर 74 को रिकॉर्डर सुपुर्द करके आपके पास भिजवा रहा हूँ। इसके बाद पूर्व से उक्त कार्यवाही में काम में लिया जा रहा रिकॉर्डर कार्यालय की अलमारी से निकालकर कानि. श्री रूपकिशोर 74 को सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब कर रवाना कस्बा थानागाजी किया गया।

दिनांक 02.09.2022 कानि. श्री रूपकिशोर 74 ने ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होकर मन पुलिस निरीक्षक को रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मै आपके आदेशानुसार कल दिनांक 01.09.2022 को ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर कस्बा थानागाजी पहुंचा। जहां जरिये मोबाईल परिवादी श्री डालचन्द सैनी से सम्पर्क कर मै परिवादी के पास पहुंचा। इसके बाद ईओ ने परिवादी को कॉल करके अपने कार्यालय में बुलाया। जिस पर मैने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करके परिवादी को सुपुर्द किया। परिवादी ईओ से बातचीत करने के लिये कार्यालय नगर पालिका थानागाजी के अन्दर गया। मै अपनी उपस्थिति छुपाते हुये कार्यालय नगर पालिका थानागाजी के पास ही मौजूद रहा। करीब 1:30 घंटे बाद परिवादी श्री डालचन्द सैनी ने नगर पालिका कार्यालय से बाहर आकर मुझे रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे मैने बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी रिश्वत मांग के सम्बंध में ईओ एवं जेईएन से वार्ता हो चुकी है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा समय 12:40 पी. एम. पर अपने मोबाईल नम्बर 9571744744 से परिवादी श्री डालचन्द सैनी के मोबाईल नम्बर 9414641131 पर कॉल किया जिस पर परिवादी ने कहा कि मै थोडी देर में आपको कॉल बैक करता हूँ। समय 12:45 पी.एम. पर परिवादी ने मुझे कॉल करके बताया कि कल दिनांक 01.09.2022 को ईओ साहब द्वारा मुझे फोन करके बुलाने पर श्री रूपकिशोर ने रिकॉर्डर चालु करके मुझे दिया तथा मै समय करीब 06:00 पी.एम पर नगर पालिका कार्यालय में गया। जहां ईओ एवं जेईएन चैयरमैन साहब के कार्यालय में बैठे हुये थे मै भी चैयरमैन साहब के कक्ष में चला गया। जहां काफी देर तक मेरी निर्माण कार्यो के सम्बंध में चैयरमैन साहब एवं ईओ एवं जेईएन से रूटीन चर्चा होती रही। इसके बाद हम सभी चैयरमैन साहब के कक्ष से बाहर आ गये तथा चैयरमैन साहब अपनी गाडी से नगर पालिका कार्यालय से बाहर चले गये। इसके बाद ईओ ने नगर पालिका कार्यालय परिसर में ही

खडे होकर मेरे से मेरे निर्माण कार्यो एवं रिश्वत के सम्बंध में बातचीत की तथा ईओ ने मुझे कहा कि आप को मेरी एवं जेईएन की तरफ से कोई दिक्कत नही आयेगी। आप तो अपना काम करो। इसके बाद ईओ ने जेईएन को अपने पास बुलाकर जेईएन से कहा कि इनके बिलो के कमीशन का क्या हिसाब किताब है? जिस पर जेईएन ने कहा कि पूर्व में इनको 29 लाख का पेमेन्ट हो चुका है। इसको राउन्ड फिगर में 30 लाख कर लो या चाहे तो उन्तीस लाख लिये 6–6 प्रतिशत राशि की मांग की तथा जेईएन ने मेरे से कहा कि यह रूपये राजू या रमेश को दे ही रख लो। इसके बाद जेईएन ने इस राशि के स्वयं एवं ईओ के देना जिस पर मैने कहा कि मेरा तो राजू एवं रमेश से छत्तीस का आंकडा है। अन्त में ईओ एवं जेईएन ने कहा कि आपको पूरा हिसाब बता दिया है अब इस बारे में फोन पर बात करने की जरूरत नही है। परिवादी ने यह भी बताया कि अभी मेरे पास पैसो की व्यवस्था नही है जैसे ही पैसो की व्यवस्था होगी, मै आपको सूचित कर दुंगा। परिवादी श्री डालचन्द सैनी को रिश्वत राशि की व्यवस्था होने पर मन पुलिस निरीक्षक को सूचित करने एवं गोपनीयता बरतने की हिदायत मुनासिब की गई। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने रिकॉर्डर को लेपटोप से जोडकर सूना गया तो परिवादी की बातो की ताईद हुई। रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। ईओ श्री अरूण शर्मा एवं जेईएन श्री भोलाराम सैनी नगर पालिका थानागाजी ने आपस में मिलिभगत कर जेईएन श्री भोलाराम सैनी ने परिवादी श्री डालचन्द सैनी से उसके द्वारा अप्रेल 2022 में पूर्ण किये गये 29 लाख रूपये की राशि के 3 निर्माण कार्यो जिनका भुगतान नगर पालिका द्वारा मई 2022 में परिवादी को किया गया था, के 6 प्रतिशत स्वयं के लिये, 6 प्रतिशत ईओ के लिये तथा 2 प्रतिशत केशियर के लिये रिश्वत की मांग की गई। जेईएन ने 29 लाख रूपये की राशि को राउण्ड फिगर में तीस लाख बताकर परिवादी से स्वयं के लिये 6 प्रतिशत के हिसाब से 1 लाख 80 हजार रूपये, ईओ के लिये 6 प्रतिशत के हिसाब से 1 लाख 80 हजार रूपये एवं 2 प्रतिशत कैशियर के लिये रिश्वत की मांग की गई। इस प्रकार जेईएन द्वारा स्वयं, ईओ एवं कैशियर के लिये 14 प्रतिशत के हिसाब से 4 लाख 20 रूपये की रिश्वत की मांग की गई। परिवादी के वर्तमान में चल रहे करीब 2 करोड रूपये के 8 निर्माण कार्यो के रनिंग बिलो के हिसाब के सम्बंध में जेईएन एवं ईओ ने परिवादी से कहा कि इनका हिसाब जैसे जैसे आपको रनिंग बिलो का भुगतान किया जावेगा, उसके साथ–साथ करते रहेगे। संदिग्ध श्री अरूण शर्मा ईओ एवं श्री भोलाराम सैनी जेईएन नगर पालिका थानागाजी, अलवर के विरूद्ध रिश्वत मांग सत्यापन पूर्ण हो चुका है। परिवादी के पास रिश्वत राशि की व्यवस्था होने एवं इस सम्बंध में परिवादी द्वारा सूचित करने पर ट्रेप सम्बंधी अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 05.09.2022 को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर 9571744744 से परिवादी श्री डालचन्द सैनी के मोबाईल नम्बर 9414641131 पर फोन करने पर परिवादी ने बताया कि मेरे पास 2 लाख रूपये की ही व्यवस्था हुई है तथा ईओ एवं जेईएन की रिश्वत मांग के अनुशरण में यह राशि मै कल दिनांक 06.09.2022 को उनको देने के लिये कार्यालय नगर पालिका थानागाजी जाउंगा। जिस पर परिवादी श्री डालचन्द सैनी को हिदायत की गई कि कल दिनांक 06.09.2022 को वह उक्त रिश्वत राशि लेकर मन पुलिस निरीक्षक को कस्बा थानागाजी के आसपास मौजुद मिले। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा समस्त चौकी स्टाफ एवं स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 06.09.2022 को प्रातः08:30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया।

दिनांक 06.09.2022 को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा इस गोपनीय कार्यवाही में पूर्व से काम मे लिये जा रहे रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी से निकालकर सुरक्षित अपने पास रखा गया एवं कार्यालय की अलमारी से फिनोल्फ्थेलीन पाउण्डर की डिब्बी को श्रीमति शर्मिला महिला कानि से निकलवाकर उसे सुरक्षित पॉलिथीन में पैक करवाकर श्रीमति शर्मिला को सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब की गई।

दिनांक 06.09.2022 समय 10:00 ए.एम मन पुलिस निरीक्षक सुभाष मील मय हमराहीयान श्री पुष्पेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री मांगीलाल उप अधीक्षक पुलिस, श्री शिवराज सिंह, पुलिस निरीक्षक, श्री गजानन्द उप निरीक्षक पुलिस, श्री सुरेश कुमार कानि. 407, श्री रिजवान अहमद कानि. 167, श्री विरेन्द्र कुमार कानि. 212, श्रीराम कानि. 295, श्री रूपकिशोर कानि 74, श्री हरकेश कानि. 69, श्रीमति शर्मिला महिला कानि0 96 मय सरकारी वाहन आरजे 14 यू डी 1398 चालक श्री इन्द्रपाल सिंह कानि 618, सरकारी वाहन नम्बर आजे 14 यूसी 8798 चालक श्री अमित कानि. 529, मय एक प्राईवेट वाहन मय सरकारी गवाहान श्री सुरेश कुमार भट्ट व श्री दिनेश शर्मा के गोपनीय कार्यवाही हेतु मय ट्रेप बॉक्स मय लैपटॉप, प्रिन्टर के होकर समय 11:45 ए.एम कस्बा विराटनगर पहुँचा। जहां पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री डालचन्द सैनी मौजुद मिला। जहां परिवादी के बताये अनुसार परिवादी के परिचित के मकान पर पहुंचे। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों गवाहान का परिचय परिवादी श्री डालचन्द सैनी से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने पढकर, समझकर व कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना–पत्र पर अपने–अपने

हस्ताक्षर किये। समय 12:15 पी.एम मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री डालचन्द सैनी से संदिग्ध श्री अरूण शर्मा, अधिषाशी अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका थानागाजी, अलवर व अन्य को रिश्वत में दिये जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने बाबत कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से पांच सौ पांच सौ रूपये के 400 नोट कुल 2 लाख रूपये निकाल कर मन् पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय, जयपुर को पेश किये जिनके नम्बर फर्द में अंकित करवाकर श्रीमति शर्मिला महिला कानि. 96 से फिनोफ्थैलीन पाऊडर लगवाया जाकर रासायनिक किया का प्रदर्शन कर महत्व समझाया गया तथा गवाह श्री दिनेश शर्मा से परिवादी की जामा तलाशी लिवाई जाकर तो परिवादी के पास मोबाइल फोन के अलावा कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। परिवादी के शोल्डर बैंग की तलाशी भी गवाह श्री दिनेश शर्मा से लिवायी गयी तथा बैग में कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। तत्पश्चात उक्त फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त नम्बरी नोटों को श्रीमति शर्मिला महिला कानि.96 से फिनोफ्थलीन पॉउडर युक्त सफेद रंग की थैली में रखवाकर, थैली को परिवादी के शोल्डर बैग में रखवाई जाकर रासायनिक प्रकिया का महत्व समझाया जाकर निर्धारत ईशारा बताया गया। इस कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एंव प्रदर्शन फिनोफ्थैलीन एंव सोडियम कार्बोनेट पाउडर मूर्तिब की जाकर शामिल कार्रवाई की गयी। नोटों पर फिनोफ्थलीन पावडर लगाने वाली कर्मचारी श्रीमति शर्मिला महिला कानि 96 को फिनोफ्थलीन पॉउडर डिब्बी को सुरक्षित यूनिट कार्यालय की अलमारी में रखने की हिदायत मुनासिब कर रवाना यूनिट कार्यालय, जयपुर किया गया।

समय 02:35 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक सुभाष मील, मय ट्रेप टीम सदस्य मय ट्रेप बाक्स मय सरकारी लेपटॉप व प्रिन्टर मय दो सरकारी वाहन एक प्राईवेट वाहन एवं परिवादी को स्वयं की गाडी के ट्रेप कार्यवाही हेतु पृथक पृथक मुनासिब हिदायत दी जाकर कस्बा विराटनगर से रवाना होकर कस्बा थानागाजी पहुंचां। जहां पर सभी वाहनों को साईड में खडा करवाया गया। कानि. रूपकिशोर द्वारा परिवादी श्री डालचन्द सैनी को रिकॉर्डर चालु करके सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री डालचन्द सैनी को संदिग्धो को रिश्वत राशि देने के लिये रवाना कार्यालय नगर पालिका थानागाजी किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप टीम सदस्यों एवं स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय नगर पालिका थानागाजी, अलवर के आस–पास उपस्थित रहकर परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ।

समय करीब **03.45 पी.एम पर** परिवादी श्री डालचन्द सैनी नगर पालिका कार्यालय के बाहर आया जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया जाकर कानि. रूपकिशोर 74 के पास सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि जेईएन श्री भोलाराम सैनी अपनी सीट पर मौजुद नही था जिस पर मैने ईओ श्री अरूण कुमार शर्मा के कार्यालय में जाकर ईओ साहब से बात की तो ईओ साहब ने बताया कि जेईएन साहब आज पेशी में डीडवाना गये हुये है। इसके बाद ईओ ने रिश्वत राशि के सम्बंध में मुझे कहा कि ये पैसे आप रमेश चन्द सैनी को दे देना और कहा कि आप कार्यालय के बाहर थोडी देर रूको। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप टीम सदस्य मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान के कस्बा थानागाजी से रवाना होकर जगदम्मा रेस्टोरेंट एण्ड हॉटल थानागाजी पहुंचकर ईओ या रमेश चन्द सैनी के फोन के इंतजार में मुकिम हुये। समय 04:07 पी.एम पर परिवादी श्री डालचन्द सैनी के मोबाईल नम्बर 9414641131 पर मोबाईल नम्बर 9828399263 से फोन आया जिस पर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि रमेश चन्द सैनी का फोन आ रहा है। इस पर परिवादी से उसके फोन का स्पीकर ऑन करवाकर रमेश चन्द सैनी से बात करवाई तो श्री रमेश चन्द सैनी कहा कि ईओ साहब से मेरी बात हुई है आप कहां मिलोगे, मै जगदम्मा हॉटल थानागाजी की तरफ ही हूँ जिस पर परिवादी ने कहा कि मै जगदम्मा हॉटल पर ही बैठा हूँ आप यही आ जाओ। उक्त वार्ता को मोबाईल का स्पीकर ऑन कर श्री रूपकिशोर कानि 74 से रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। इसके पश्चात श्री रूपकिशोर कानि. 74 से रिकॉर्डर को पुनः चालु कर परिवादी श्री डालचन्द सैनी को सुपुर्द किया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के जगदम्मा होटल परिसर में ही मूकिम रहे। कुछ समय पश्चात एक मोटर साईकिल नम्बर आरजे 52 एससी 5135 पर एक पेंट शर्ट पहने, गले में तोलिया डाले दाढी वाला व्यक्ति आया जो हॉटल के अन्दर पीछे की तरफ साईड में बने हट में जाकर परिवादी श्री डालचन्द

सैनी से बातचीत करने लग गया। समय 04:35 पी.एम. पर परिवादी एवं उक्त व्यक्ति हॉटल के मैन गेट पर पहुंचे तथा परिवादी श्री डालचन्द सैनी ने मन पुलिस निरीक्षक को सिर पर हाथ फेर कर गोपनीय ईशारा किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पास पहुंच कर परिवादी से रिकॉर्डर प्राप्त कर, रिकॉर्डर को बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने अपने सामने खडे पेंट शर्ट पहने, गले में तोलिया डाले दाढी वाला व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही रमेश चन्द सैनी है जिसने मेरे से अभी अभी ईओ श्री अरूण कुमार शर्मा एवं जेईएन श्री भोलाराम सैनी के लिये 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि का पैकेट अपने दोनों हाथो से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिने जेंब में रख लिया। इसके पश्चात आरोपी श्री रमेश चन्द सैनी को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान गवाहान व टीम का परिचय देते हुऐ आने के मन्तव्य से अवगत कराया व उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम श्री रमेश चन्द सैनी पुत्र श्री रेवड राम सैनी, उम्र 46 साल, जाति सैनी, मकान नम्बर 77, आमावाली वार्ड नं 13, तहसील विराटनगर, जयपुर होना बताया। आरोपी श्री रमेश चन्द सैनी से परिवादी श्री डालचन्द सैनी से प्राप्त की गई रिश्वत राशि के पैकेट के सम्बंध मे पूछा तो आरोपी ने बताया कि मै श्री डालचन्द सैनी के नीचे ठेकेदारी का काम करता हूँ तथा ये पैसे मेरी मजदुरी के है जो मैने डालचन्द सैनी से अभी प्राप्त किये है। इस पर परिवादी श्री डालचन्द सैनी ने कहा कि रमेश चन्द सैनी झूठ बोल रहा है। ईओ श्री अरूण कुमार शर्मा एवं जेईएन श्री भोलाराम सैनी नगर पालिका थानागाज़ी के लिये मेरे से दो लाख रूपये रिश्वत के प्राप्त किये है। इसके पश्चात आरोपी श्री रमेश चन्द सैनी से जिस स्थिति में उस स्थिति में रहने की हिदायत दी जाकर आरोपी श्री रमेश चन्द सैनी का दाहिना हाथ कानि. रिजवान अहमद से एवं बांया हाथ श्री इन्द्रपाल चालक कानि. से कलाई के उपर से पकडवाकर होटल के अन्दर पहुंचे। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने साफ पानी मंगवाकर स्वतंत्र गवाहान् के समक्ष ट्रेप बॉक्स मे से दो साफ कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर कांच के गिलास मे पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट की दो चम्मच डालकर मिश्रण तैयार कर उपस्थित गवाहान्, परिवादी व हमराहियान को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना बताया व स्वीकार किया। उक्त एक गिलास मे आरोपी श्री रमेश चन्द सैनी के दांहिने हाथ के अंगूठे व अंगूलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो दांहिने हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया। जिसको दो कांच की शीशियों को साबुन व पानी से धुलवाकर सीसीयों मे आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया व इसी प्रकार दूसरे कांच के पानी के गिलास मे उक्त प्रकिया अपनाई जाकर आरोपी श्री रमेश चन्द सैनी के बाये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को गिलास मे डुबोकर धुलवाया गया तो बाये हाथ के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवन को दो कांच की सीसीयों को साफ साबुन व पानी से धुलवाकर सीसीयो में आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी श्री रमेश चन्द सैनी की पहनी हुई पेन्ट की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार से लिवाई गई तो आरोपी श्री रमेश चन्द सैनी के पहने हुई पेंट की साईड की दांहिनी जेंब से एक सफेद रंग की थैली का पैकेट मिला। स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार से उक्त पैकेट को खुलवाया गया तो उसमें पांच पांच सौ रूपये के नोटों की चार गड्डीयां मिली जिनका पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया तो हुबहु वही नम्बरी नोट होना पाये गये। उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री सुरेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाया गया। आरोपी की पेन्ट को सम्मान जनक तरीके से उतरवाकर दूसरा पेंट मंगवाकर आरोपी श्री रमेश चन्द सैनी को पहनाया गया व कांच के गिलास को साबुन व पानी से साफ धुलवाकर सोडियम कोर्बोनेट का घोल तैयार कर गवाहान को दिखाया तो रंगहीन होना बताया व आरोपी श्री रमेश चन्द सैनी की उतरवाई हुई पेन्ट की दांहिनी साईड की दांहिनी जेब को गवाह श्री सुरेश कुमार से उल्टा करवाकर धुलवाया गया तो धोवन का मिश्रण का रंग गुलाबी होना पाया गया। उक्त धोवन को दो कांच की सीसीयो को साबुन व पानी से साफ धुलवाया जाकर सीसीयों मे आधा आधा डलवाकर सील्ड मोहर कर चिट चस्पा कर मार्क PL-1, PL-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए.सी.बी. लिया गया। उक्त नीले रंग की पेन्ट की साईड की दांहिनी जेब को उल्टा करवाकर, सुखवाकर

संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क P अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। हमराह जाप्ते में से श्री शिवराज सिंह पुलिस निरीक्षक मय कानि. श्री सुरेश कुमार को प्राईवेट वाहन से आरोपी श्री अरूण कुमार शर्मा ई.ओ एवं श्री भोलाराम सैनी जेईएन को दस्तयाब करने हेतु कार्यालय नगर पालिका थानागाजी रवाना किया गया। चूंकि आरोपी श्री रमेश चन्द सैनी पडौसी कस्बा विराटनगर का रहने वाला है इस कारण जगदम्भा हॉटल भीड इक्कठा होने की सम्भावना सूचना मिलने पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा आगे की कार्यवाही पास में ही स्थित पुलिस थाना थानागाजी पहुंचकर करने का निर्णय लिया जाकर जगदम्भा हॉटल से मय हमराहीयान मय आरोपी श्री रमेश चन्द सैनी मय ट्रेप उपकरण मय शील्डशुदा धोवनों के समय 04:55 पी.एम पर रवाना होकर समय 04:57 पी.एम. पर पुलिस थाना थानागाजी पहुंचा। आरोपी श्री रमेश चन्द सैनी की मोटरसाईल नम्बर आरजे 52 एससी 5135 को सुरक्षित थाना परिसर थानागाजी में खडा करवाया गया। श्री सुरेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वत राशि पांच पांच सौ रूपयो की चार गड्डीयां कुल 2 लाख रूपयो को दो–दो गड्डीयों को एक साथ कर अगल अगल सफेद कागज की चिट लगाकर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। सफेद रंग की थैली जिसमें रिश्वत राशि रखी गई थी, पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्डमोहर कर मार्का T अंकित कर कब्जा ए.सी.बी लिया गया। समय 05: 35 पी.एम पर श्री शिवराज सिंह पुलिस निरीक्षक मय कानि श्री सुरेश कुमार मय दस्तयाबशुदा आरोपी श्री अरूण शर्मा ईओ के उपस्थित पुलिस थाना थानागाजी आये। श्री शिवराज सिंह पुलिस निरीक्षक ने बताया कि आरोपी श्री भोलाराम सैनी जेईएन की तलाश कार्यालय नगर पालिका थानागाजी एवं आस पास की गई आरोपी श्री भोलाराम जेईएन की अदम पतारसी रही। आईन्दा आरोपी श्री भोलाराम सैनी जेईएन को दस्तयाब कर अनुसंधान किया जावेगा। आरोपी श्री अरूण शर्मा से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अरूण कुमार शर्मा पुत्र स्वं. श्री भगवती सहाय शर्मा, जाति ब्रहम्ण, उम्र 37 साल, निवासी–मकान नम्बर 10, श्याम विहार विस्तार–द्वितीय, सी.आई.एस.एफ के सामने आमेर, जयपुर हाल अधिशाषी अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका थानागाजी, अलवर होना बताया। आरोपी श्री अरूण कुमार शर्मा से परिवादी श्री डालचन्द सैनी से रिश्वत राशि मांगने एवं श्री रमेश चन्द सैनी को परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु भिजवाने के सम्बंध में पूछा तो आरोपी श्री अरूण शर्मा ईओ ने बताया कि मैने कभी भी डालचन्द सैनी से कोई रिश्वत की मांग नही की, ना ही इस सम्बंध में मेरी उससे कोई मौखिक या मोबाईल पर बातचीत हुई है तथा ना ही मैने श्री रमेश चन्द सैनी को डालचन्द सैनी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये कहा।

अब तक की कार्यवाही से आरोपीगण श्री अरूण कुमार शर्मा अधिषाशी अधिकारी एवं जेईएन श्री भोलाराम सैनी नगर पालिका थानागाजी ने आपस में मिलिभगत कर जे.ई.एन. श्री भोलाराम सैनी ने परिवादी श्री डालचन्द सैनी से उसके द्वारा अप्रेल 2022 में पूर्ण किये गये 29 लाख रूपये की राशि के 3 निर्माण कार्यो जिनका भुगतान नगर पालिका द्वारा मई 2022 में परिवादी को किया गया था, के 6 प्रतिशत स्वयं के लिये, 6 प्रतिशत ईओ के लिये तथा 2 प्रतिशत केशियर के लिये रिश्वत की मांग की गई। जेईएन ने 29 लाख रूपये की राशि को राउण्ड फिगर में तीस लाख बताकर परिवादी से स्वयं के लिये 6 प्रतिशत के हिसाब से 1 लाख 80 हजार रूपये, ईओ के लिये 6 प्रतिशत के हिसाब से 1 लाख 80 हजार रूपये एवं 2 प्रतिशत कैशियर के लिये रिश्वत की मांग की गई। इस प्रकार जेईएन द्वारा स्वयं, ईओ एवं कैशियर के लिये 14 प्रतिशत के हिसाब से 4 लाख 20 रूपये की रिश्वत की मांग की गई। मांग के अनुसरण में आज दिनांक 06.09.2022 को आरोपीगण श्री अरूण कुमार शर्मा ईओ एवं श्री भोलाराम सैनी जेईएन द्वारा बताये गये दलाल श्री रमेश चन्द सैनी द्वारा परिवादी से 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना, आरोपी श्री अरूण कुमार शर्मा ईओ, श्री भोलूराम सैनी जे.ई.एन एवं रमेश चन्द सैनी (दलाल) प्राईवेट व्यक्ति एवं अन्य के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्ष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120 बी भा.द.सं. में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। उक्त समस्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई।

आरोपीगण श्री अरूण कुमार शर्मा पुत्र स्वं. श्री भगवती सहाय शर्मा, जाति ब्रहम्ण, उम्र 37 साल, निवासी–मकान नम्बर 10, श्याम विहार विस्तार–द्वितीय, सीआईएसएफ के सामने आमेर, जयपुर हाल अधिशाषी अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका थानागाजी, अलवर एवं श्री रमेश चन्द सैनी पुत्र श्री रेवड राम सैनी, उम्र 46 साल, जाति सैनी, मकान नम्बर 77, आमावाली वार्ड नं 13, तहसील विराटनगर, जयपुर को पृथक पृथक जरिये फर्द गिरफ्तारी एंव जामा तलाशी मूर्तिब कर आरोपी को नियमानुसर गिरफ्तार किया गया । इसके पश्चात फर्द निरीक्षण घटनास्थल जरिये फर्द पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया।

आरोपीगण श्री अरूण कुमार शर्मा अधिशाषी अधिकारी एवं श्री रमेश चन्द सैनी को अपनी अपनी आवाज का नमूना देने के लिये जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज देने के लिये कहाॅ जाने पर आरोपीगण द्वारा अपनी आवाज का नमूला नही देने के लिये स्पष्ट रूप से इंकार किया गया। फर्द प्राप्ति नमूना आवाज पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गयी। फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल कार्रवाही की गई। शील्ड शुदा आर्टीकल्स व जप्त शुदा रिश्वत राशि व रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व लेनेदन वार्ता की शील्ड शुदा सीडीयाॅ जरिये पत्र जमा मालखाना करवायी गयी।

परिवादी श्री डालचन्द सैनी (ठेकेदार) की फर्म सपना कन्स्ट्रक्शन द्वारा नगर पालिका थानागाजी के अधीन पूर्ण किये गये निर्माण कार्यो एवं वर्तमान में सपना मैसर्स को आवंटित कार्य/टेण्डर से सम्बंधित पत्रावली/रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि जरिये पत्रांक 2927 दिनांक 07.09.2022, आरोपी श्री भोलूराम सैनी का सेवा विवरण जरिये पत्रांक 2932 दिनांक 08.09.2022, आरोपी श्री अरूण कुमार शर्मा ईओ का सेवा विवरण जरिये पत्रांक 2932 दिनांक 08.09.2022 अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका थानागाजी अलवर से प्राप्त हुआ बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया।

परिवादी श्री डालचन्द सैनी एवं स्वतंत्र गवाहान ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हैं। दिनांक 06.07.2022, 01.09.2022 को रिश्वत मांग वार्ता एवं दिनांक 06.09.2022 को रिश्वत लेन देन वार्ता, जिनको परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। उक्त वार्ताऐ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के में दर्ज है। परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड उक्त REC-FILE, FOLDER01 वार्ताओं को लेपटोप की सहायता से सुना जाकर रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन देन के समय हुई वार्ताओ की शब्द ब शब्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार की गई। परिवादी श्री डालचन्द सैनी ने अपनी तथा आरोपीगण श्री अरूण कुमार शर्मा ईओ, श्री भोलाराम सैनी जेईएन, श्री रमेश चन्द सैनी प्राईवेट व्यक्ति की आवाज की पहचान की गई। परिवादी एवं स्वतत्रं गवाहान से उक्त वार्तारूपान्तरण का वाइस क्लीप से शब्द ब शब्द मिलान करवाया जाकर वार्ता की सीडी बनाने हेतु तीन खाली सीडीयां मंगवायी जाकर तीनों सीडीयो को खाली होना सुनिश्चित कर लैपटॉप की सहायता से रिकॉर्डर में मौजूद उक्त वार्ताओ को बारी–बारी से तीनों सीडीयो में बर्न किया गया। तीनों सीडीयो को बारी बारी से लैपटॉप में चलाकर सुना गया तो तीनों में उक्त वार्तायें रिकार्ड होनी पाई गई। तीनों सीडीयो पर क्रमशः मार्का A-1, A-2 व A-3 अंकित कर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। मार्का A-1 व मार्का A-2 सीडीयो को दो पृथक पृथक प्लास्टिक के सीडी कवर मे रखकर, दो पृथक–पृथक सफेद कपड़े की थैलीयों में रख कर थैलीयों पर क्रमशः मार्का A-1, A-2 अंकित किये जाकर थैलियों पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा ए.सी.बी लिया गया। सीडी मार्का A-3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सोनी कम्पनी बरंग काला पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर रिकॉर्डर को एक सफेद कपडे की थैली मे रख कर मार्का RC अंकित किया जाकर थैली पर गवाहान व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर कब्जा ए.सी.बी लिया गया। फर्द ट्रासस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेन देन वार्ता पर संबंधितो से हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया ।

संदिग्ध श्री चौथमल सैनी, चैयरमैन नगर पालिका थानागाजी जिला अलवर एवं श्री मुकेश कुमार कैशियर नगर पालिका थानागाजी की संलिप्तता के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान किया जाना आवश्यक है। आरोपी श्री भोलूराम सैनी कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका थानागाजी रूहपोश चल रहा है जिसकी तलाश जारी है।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी 01. श्री अरूण कुमार शर्मा पुत्र स्वं. श्री भगवती सहाय शर्मा, जाति ब्रहम्ण, उम्र 37 साल, निवासी–मकान नम्बर 10, श्याम विहार विस्तार–द्वितीय, सी.आइ.

एस.एफ. के सामने आमेर, जयपुर हाल अधिशाषी अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका थानागाजी, अलवर 02 श्री भोलूराम सैनी कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका थानागाजी 03 श्री रमेश चन्द सैनी पुत्र श्री रेवड राम सैनी, उम्र 46 साल, जाति सैनी, मकान नम्बर 77, आमावाली वार्ड नं 13, तहसील विराटनगर, जयपुर द्वारा आपस में मिलिभगत कर आपराधिक षडयंत्र की रचंना कर परिवादी द्वारा नगर पालिका थानागाजी में अप्रेल 2022 में पूर्ण किये गये 29 लाख रूपये की राशि के 3 निर्माण कार्यो जिनका भुगतान नगर पालिका द्वारा मई 2022 में परिवादी को किया गया थां, कि ऐंवज में जेईएन ने 29 लाख रूपये की राशि को राउण्ड फिगर में तीस लाख बताकर परिवादी से स्वयं के लिये 6 प्रतिशत के हिसाब से 1 लाख 80 हजार रूपये, ईओ के लिये 6 प्रतिशत के हिसाब से 1 लाख 80 हजार रूपये एवं 2 प्रतिशत कैशियर के लिये रिश्वत की मांग की गई। इस प्रकार जेईएन द्वारा स्वयं, ईओ एवं कैशियर के लिये 14 प्रतिशत के हिसाब से 4 लाख 20 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की गई। मांग के अनुसरण में आरोपीगण श्री अरूण कुमार शर्मा ईओ एवं श्री भोलूराम सैनी जेईएन द्वारा बताये गये दलाल श्री रमेश चन्द सैनी द्वारा दिनांक 06.09.2022 को परिवादी से 2 लाख रूपये की रिश्वत राशि का पैकेट प्राप्त अनुचित लाभ के रूप में प्राप्त करना अपराध अन्तर्गत धारा 7,7ए भष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120 बी भा.द.स. में प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण 01–श्री अरूण कुमार शर्मा पुत्र स्वं. श्री भगवती सहाय शर्मा, जाति ब्रहम्ण, उम्र 37 साल, निवासी–मकान नम्बर 10, श्याम विहार विस्तार–द्वितीय, सीआईएसएफ के सामने आमेर, जयपुर हाल अधिशाषी अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका थानागाजी, अलवर 02.– श्री रमेश चन्द सैनी पुत्र श्री रेवड राम सैनी, उम्र 46 साल, जाति सैनी, मकान नम्बर 77, आमावाली वार्ड नं 13, तहसील विराटनगर, जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) 3.– श्री भोलूराम सैनी पुत्र श्री बुद्धाराम सैनी कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका थानागाजी अलवर के विरूद्ध धारा 7,7ए भष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं धारा 120 बी भा.द.स. में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन प्रेषित है।

(सुभाष मील)
पुलिस निरीक्षक
स्पेशल यूनिट–द्वितीय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर

(सुभाष मील)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
स्पेशल यूनिट–द्वितीय,जयपुर।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुभाष मील, पुलिस निरीक्षक, स्पेशल यूनिट द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री अरूण कुमार शर्मा पुत्र स्व.श्री भगवती सहाय शर्मा, अधिशाषी अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका थानागाजी, अलवर, 2. श्री भोलूराम सैनी पुत्र श्री बुद्धाराम सैनी, कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका थानागाजी, अलवर 3. श्री रमेश चन्द सैनी पुत्र श्री रेवड़ राम सैनी (प्राईवेट व्यक्ति) निवासी मकान नं. 77, आमावाली वार्ड नं. 13, तहसील विराटनगर, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 352/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3056-60 दिनांक 8.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-द्वितीय जयपुर।

8.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।